न्यायालय अपील प्राधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्याः 05/2024 (GCMS No.-2024/28)

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1— रामप्रसाद पुत्र छोटूराम, उम्र—70 वर्ष 2— बीना पत्नी रामप्रसाद, उम्र—64 वर्ष निवासी—एच एस नं. 335, खसरा नं. 56, महावीर नगर, नांदडी, जोधपुर		1—रोहित कुमार पुत्र रामप्रसाद, उम्र—32 वर्ष 2—अनिताराज पत्नी रोहित कुमार, उम्र—30 वर्ष निवासी—एच एस नं. 335, खसरा नं. 56, महावीर नगर, नांदडी,जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 एवं माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण नियम 2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.2023 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्रकरण संख्या 06/2023 रामप्रसाद व अन्य बनाम रोहित कुमार व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1—अपीलार्थी उपस्थित।
2—प्रत्यर्थीपक्ष उपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5, 23 व 24 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 एवं माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण नियम 2010 बाबत अपीलार्थी को भरण पोषण राशि दिलाने एवं मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल कर खाली करने हेतु प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2023 को पारित किया गया, जिसमें अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से सद्व्यवहार बनाये रखने, गाली गलौच नही करने एवं बीमार होने की स्थिति में डॉक्टर, दवाई की उचित व्यवस्था करने हेतु पाबंद किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील दर्ज (05/2024(GCMS No.-2024/28)) कर प्रत्यर्थीपक्ष/अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 07.08.2024 से कार्यालय उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दी तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। अपीलार्थीपक्ष को दिनांक 04.11.2024 को उपस्थित होने पर उनका पक्ष सुना गया तथा अप्रार्थीपक्ष/प्रत्यर्थीपक्ष को दिनांक 27.11.2024 को को उपस्थित होने पर उनका पक्ष सुना गया, इस प्रकार उभयपक्षकरान की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 क्रमशः पुत्र व पुत्रवधु है तथा अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)) के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 व माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम 2010 के तहत भरण पोषण राशि दिलाने एवं अपीलार्थीगण के मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल करने का आवेदन करने के उपरांत भी अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी संख्या 1 का स्वयं अर्जित मकान एच एस नं. 335, खसरा नं. 56, महावीर नगर, नांदडी, पुलिस थाना बनाड़, जोधपुर मे आया हुआ है। अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थीगण के साथ छोटी–छोटी बातों को लेकर झगड़ा करती है, घर का कोई काम नही करती है तथा अपीलार्थीगण के साथ गाली गलौच करने लग जाती है। अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थीगण को बात बात पर पुलिस में जाने की धमकी देने लग जाती है व अपने पीहर वालो को मारपीट के झूठे फोन लगती है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के उक्त कृत्य से अपीलार्थीगण निराश व परेशान हो गये है। अपीलार्थीगण ने आगे बतलाया कि अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 2 अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 को भड़काती है जिससे प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थीगण से आये दिन झगड़ा करता है, गाली गलौच करता है व घर से अपीलार्थीगण को निकल जाने की धमकी देता है। प्रार्थी/अपीलार्थी संख्या 1 के बीमार हो जाने अस्पताल में भर्ती होने पर अपीलार्थीगण के पुत्र संतोष द्वारा 13–14 दिन सेवा चाकरी की गई जबकि अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 चार दिन बाद जोधपुर आया व प्रत्यर्थीगण करीबन आधा पौन घण्टा अस्पताल में रूके व औपचारिकता कर चले गये। प्रत्यथीगण ने अपीलार्थीगण की किसी प्रकार से कोई मदद व सेवा चाकरी नही की। अपीलार्थीगण के मकान में प्रत्यथीगण निरन्तर निवास कर रहे है एवं लाईट इत्यादि के विल राशि का भुगतान प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा कभी नही किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 एम्स अस्पताल में लेब में कार्य करता है जो करीबन 35,000/– रूपये प्रतिमाह आय प्राप्त करता है फिर भी अपीलार्थीगण को घर खर्च के लिए कोई राशि नही देता है और उल्टे अपीलार्थी संख्या 1 से रूपये मांगता रहता है। बहस के अंत में अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थीगण को प्रतिमाह 10,000/– रूपये भरण पोषण राशि दिलाने व उक्त मकान से अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को बेदखल कर खाली कराने के आदेश प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

तत्पश्चात अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा बहस में बतलाया कि अपीलार्थी के प्रत्यर्थी संख्या 1 के अलावा एक बड़ा पुत्र संतोष व पुत्री सुनीता है जिसे पक्षकार नही बनाया गया है तथा प्रत्यर्थी संख्या–2 के विरूद्ध गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये है। अपीलार्थीगण ने अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 को विवाह के समय प्राप्त स्त्रीधन, एक लाख रूपये रोकड़, अन्य गहने एवं घरेलू सामान अपने पास रख लिया तथा मांगने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 को नही दिया, इस संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा महिला पुलिस थाना पूर्व जोधपुर के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बाद समझाईश स्त्रीधन व अन्य सामान प्रत्यर्थीगण को देने का कहने के बावजूद नही दिये। प्रार्थी संख्या–1 सेन्ट्रल गर्वमेंट में एमईएस में फीटर के पद पर कार्यरत थे व दिनांक 30.11.12 को सेवानिवृत होने के पश्चात वर्तमान में लगभग 40,000/– रूपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करते है। 1 ने विवाह से पूर्व अपने वेतन में से बचत कर करीबन 9 लाख रूपये टुकड़ो में अपीलार्थीगण को दिये जो अपीलार्थीगण ने अपने पास रख लिये एवं लौटाने से स्पष्ट मना कर दिया, इसके अलावा प्रत्यर्थी संख्या 2 के पीहर से भी रूपये पैसों की मांग करते जिसके तहत टुकड़ों में करीबन 3,00,000/–रूपये अपीलार्थीगण को दिये ताकि प्रत्यर्थी संख्या 2 का वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चल सके जिन्हे लौटाने से मना कर दिया। अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी संख्या 2 को मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते हुए विवाह में दिये हुए स्त्रीधन को हड़प कर प्रत्यर्थीगण को घर से बेदखल करना चाहते है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थीगण को अपने माता पिता से ज्यादा आदर, सम्मान व प्यार दिया है और कभी भी अपशब्द व गलत व्यवहार नही किया है तथा आज भी हर प्रकार का कार्य करने के बावजूद दोनो अपीलार्थीगण अपने बड़े पुत्र संतोष व पुत्रवधु राखी और पुत्री संतोष के बहकावे में आकर अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को घर से बेदखल करना चाहते है जबकि दोनो के पास रहने के लिए कोई अन्य व्यवस्था नही है। बहस में आगे बतलाया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थीगण से किसी भी बात पर कोई झगड़ा नही किया और घर का पूरा काम करने के बावजूद भर पेट खाना भी नही मिलता, यहां तक की दैनिक उपयोग की चीजें भी प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपीलार्थी संख्या 2 से मांगकर लेना पड़ती तथा अपीलार्थी संख्या 2 का प्रत्यर्थीगण के वैवाहिक जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप रहता जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 की ननद व जेठानी राखी का सहयोग रहता व प्रत्यर्थी संख्या 2 के जेठ संतोष की बेटी मुस्कान भी गाली गलोच करती है। प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रत्यर्थी संख्या 2 से अपीलार्थीगण द्वारा गलत व्यवहार करने से मना करने पर अपीलार्थी संख्या 2 औरत का गुलाम कहती व अपीलार्थीगण प्रत्यर्थीगण को प्रत्यर्थी संख्या 1 के ससुर के घर जाने को कहते है। अपीलार्थीगण का बडा पुत्र संतोष शराबी है, लोगों से लाखो रूपये का उधार कर्जा कर रखा है व घर में गाली गलोच कर शांति भंग करता है तथा मना करने पर अपीलार्थीगण को धमकाता है कि प्रत्यर्थीगण को घर से बाहर निकाल दो अन्यथा तुम्हारा बुरा हाल होगा। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण की सेवा करते हुए यथासंभव सहयोग किया तथा दवाईयों व अस्पताल का खर्चा उठाया है। बहस के अतं प्रत्यर्थीगण द्वारा अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में मुख्य रूप से प्रतिमाह 10,000/– भरण पोषण की राशि दिलाने, अप्रार्थीगण को घर से बेदखल करने की प्रार्थना की गई। अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4(1) में "A Senior Citizenn including parent who is unable to maintain himself from his own earning or out of the property owned by him, shall be entitled to make an application under Section 5" का प्रावधान है तथा अपीलार्थी संख्या–01 एमईएस में राजकीय सेवा से सेवानिवृत कार्मिक होने से पेंशनभोगी है व अधीनस्थ अधिकरण द्वारा नायब तहसीलदार के जरिये करवाई गई जांच की तथ्यात्मक/जांच रिपोर्ट में मार्च 2023 के अनुसार 30,344/– रूपये मासिक पेंशन प्राप्त होना बताया। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 01.01.2025 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)